| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| 16/6/25 | |
| * पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-10 सहपठित धारा 151 CPC प्रस्तुत हुई। | |
| * प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत वाद में ग्राम रंगतालाब की कृषि भूमि ख.नं. 96, 283, 306, 308, 35, 94, 549 कुल किता 7 की रकबा 4.36 hect भूमि अन्तर्ग्रस्त है। तथा इसी आराजी बाबत अपील संख्या 303/2024 व 304/2024 माननीय RAA कोटा के समक्ष विचाराधीन है। | |
| * प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि RAA कोटा के समक्ष लम्बित अपील एवं श्रीमान के समक्ष लम्बित वाद में विचन आराजी समान है तथा पक्षकारान भी लगभग समान है | |
| * उक्त आधार पर प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 10 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत वाद की कार्यवाही RAA कोटा के लम्बित अपील संख्या 303/24, 304/2024 के अंतिम निर्णय तक स्थगित | |

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज |
|---|---|
| | किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावें। |

* वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि -
  - वाद हाजा में एवं RAA कोटा के न्यायालय में विचाराधीन अपीलों से सम्बन्धित वाद में पक्षकारान समान नहीं है।
  - प्रकरण में धारा-10 एवं धारा 151 एवं धारा-151 CPC के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
  - प्रतिवादी द्वारा यह प्रार्थनापत्र वाद की अग्रिम कार्यवाही विलम्बित करने के उद्देश्य से असद्भाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।
* बहस उभयपक्ष सुनी गई।
* विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि दोनों प्रकरणों में पक्षकारान समान नहीं है, अनुतोष भी समान नहीं है, हस्तगत प्रकरण विभाजन का है जबकि वर्णित अन्य प्रकरण खातेदारी उद्घोषणा का है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| हस्तगत प्रकरण में आंशिक भूमि है जबकि दूसरे प्रकरण में अन्य भूमि भी सम्मिलित है। | |
| वादी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए - | |
| 1. RBJ - 2020 - 716 | |
| 2. RBJ - 2005 - 201 | |
| 3. RBJ - 2015 - 48 | |
| * विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी का कथन है कि एक वाद पूर्व में जैरकार था, जो O7R11CPC में खारिज हुआ। जिसकी RAA में अपील जैरकार है। धारा 107(2) CPC के अनुसार अपील दावे की निरन्तरता है, इसमें चाहा गया अनुतोष व पूर्व दावे का अनुतोष समान है तथा पक्षकार भी लगभग समान है। अतः वादग्रस्त आराजी समान होने, पक्षकार समान होने तथा दाहत समान होने की स्थिति में नया वाद नहीं लाया जा सकता। | |
| * हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया, बहस वकुलाय | |

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज |
|---|---|
| | पत्रावली पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया व न्यायिक दृष्टान्तों से सम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। |
| | 2020 RBJ 716 |
| | CIVIL PROCEDURE CODE 1908 - Sec 10 - In first appeal dispute is only with regard to khasra No. 626 and for the rest khasra numbers there is no dispute as in both the suits subject matter and relief is not fully same therefore subsequent suit cannot be stayed. |
| | 2005 RBJ 201 |
| | Sec-10 stay of suit - Applicability - Directly and substantially in issue - Means whole of subject matter in both proceedings is identical. This section applies only in cases where the whole of the subject matter in both the suits is identical. |

उपखण्ड अधिकारी
सीटा

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| 2015 RBJ 48<br><br>Code of civil procedure, 1908 - Section-10 - The provision of this section will apply when entire subject matter in controversy is same. But in this case, entire controversy is not the same. Therefore, provisions of this section cannot be made applicable.<br><br>* पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से ~~संलग्न से~~ प्रमाणित है कि प्रश्नगत दोनों प्रकरणों में ना तो पक्षकार समान है, ना खसरा नम्बर पूर्णतया समान है और ना ही चाही गई राहत पूर्णतया समान है।<br>+ उक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रार्थनापत्र पर पूर्णतया चस्पा होते हैं।<br>* अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में हस्तगत प्रार्थनापत्र के तथ्यों के आधार पर हम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत | |

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज |
|---|---|
| | मय अन्तर्गत आदेश-10, सपठित धारा 151 CPC अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।<br>अत: प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश-10, सपठित धारा 151 CPC अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली 27/06/25 को पेश हो।<br>16/6/25<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कोटा |
| 27/6/25 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। प्रति० नं [redacted] 3/2 की ओर से अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पत्रावली को राजस्व मण्डल अजमेर भिजवाये जाने बाबत पेश हुआ जो शामिल पत्रावली हो। नकल दिलाई जावे। पत्रावली दिनांक 1/7/25 को पेश हो। |